

प्रेषक

सयुक्त शिक्षा निदेशक
काराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रोति विहार नई दिल्ली।

पत्रांक एनओओसी०

/2015-16 दिनांक 2/6/2015

विषय शिवशक्ति पब्लिक स्कूल नेवादा गाजीपुर को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त सदमित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की वर्गीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रमुख समिति में सयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्बलित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की शिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुगम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(S. K. Sharma)
Principal
Shiv Shakti Public School
Neewada, Lawa, Chhapra

Scanned with CamScanner

Shiv Shakti Public School
2015/16/25
Manager

Scanned with CamScanner

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सरस्वा के लिए अनिवार्य होगा, तथा भूमि के लीज डीड के सम्बन्ध में धारा 176 के अन्तिम निर्णय के अधीन होने के साथ-साथ यदि किसी समय यह प्रमाणित होगा कि सरस्वा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आदेशों के प्रभाव में वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा० (प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पू०स० / एन०आर०सी० / 148 / 55

/ 2015-16 दिनांक

- प्रतिनिधि जैन क्षेत्र को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
 2. संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डल वाराणसी।
 3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
 4. जिला शिक्षा निदेशक गीरीशक गाजीपुर।
 5. निरीक्षण अधिकारी सरतोप विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
 6. प्रधानाचार्य सरतोप पब्लिक स्कूल नैवादा गाजीपुर।
 7. गार्ड फाइल हेतु।

डा० (प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

(S. K. Sharma)
Principal
Shiv Shakti Public School
Newada, Lawa, Ghe

Shiv Shakti Public School
22/11/2015
Manager